भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3978

दिनांक 17 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

बिहार के लिए पशुधन और डेयरी क्षेत्र के विकास की योजनाएँ

3978. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बिहार में पशुधन और डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कार्यान्वित पशुधन और डेयरी विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बिहार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशु नस्लों में सुधार लाने, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास बिहार में पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजित करने के लिए कोई प्रस्ताव और योजनाएं हैं और यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने पशुपालक लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पशुधन और डेयरी क्षेत्रों के लिए किए जा रहे प्रयासों को संपूरित करने हेतु भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, बिहार सहित पूरे देश में निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन को देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण**,** बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइनों के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन किसानों के लिए अधिक लाभकारी बन सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के परिणामस्वरूप देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों सहित अधिक दूध देने वाले बोवाइनों की आबादी में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 33.39 लाख डेयरी किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से विकास कार्यक्रम अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन हैं: (क) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन; (ख) चारा और पशु आहार विकास संबंधी उप-मिशन और (ग) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में 70 लाख रुपये की परियोजना लागत वाली 2 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और लाभार्थियों को 14 लाख रुपये की सब्सिडी राशि जारी की गई है।

पशु आहार और चारा संबंधी उप-मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

(ii) पशु आहार और चारा क्षेत्र में उद्यमशीलता कार्यकलाप

(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण एवं ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना

(iv) ''गैर-वन बंजर भूमि/ रेंजभूमि/ गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन'' और ''वन भूमि से चारा उत्पादन''

(v) पशुधन बीमा कार्यक्रम: पशुओं के बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 60:40 या 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी प्रीमियम का 15% हिस्सा प्रदान करता है। सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार 10 पशु इकाइयों तक सीमित है।

3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): AHIDF पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना तैयार करने/सुदृढ़ करने के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।

4. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

(i) NPDD का घटक "क" राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (SHG)/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) NPDD योजना का घटक "ख" "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

NPDD योजना के तहत पूरे बिहार में 19 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल लागत 34601.85 लाख रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 25433.07 लाख रुपये है। इसमें से दिनांक 28.02.2026 तक 24124.29 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ राज्य के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।

5. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता: प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने में सहायता हेतु राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करना।

6. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पशुपालन और डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की "संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS)" के अंतर्गत केसीसी कार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कार्यकलापों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी पर बैंकों को 1.5% की ब्याज सबवेंशन और किसानों को 2 लाख रुपये तक का 3% का शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इससे डेयरी किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले चारे, पशु चिकित्सा देखभाल और उन्नत प्रजनन तकनीकों में निवेश करने में सहायता मिलती है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति तक, बिहार में 2,54,408 KCC खाते चालू थे, जिन पर 1289.73 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी।

7. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) पशु रोगों के लिए निवारक टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता के निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लागू किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि नामक एक नया घटक जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। अब तक बिहार में FMD के लिए 8.09 करोड़ टीकाकरण किए गए हैं, जिससे 64.68 लाख डेयरी किसानों को लाभ हुआ है और ब्रुसेलोसिस के लिए 32.75 लाख टीकाकरण किए गए हैं, जिससे 15.18 लाख डेयरी किसानों को लाभ हुआ है।